उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्टिटयूशन ऑफ इन्जीनियर्स (आई0) बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर–ISBT माजरा, देहरादून।

अधिसूचना

14.05.2010

संख्याः एफ–9(4)/आर.जी./यूईआरसी/2010/383 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका) विनियम 2007 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :–

1.संक्षित नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शिका) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2010 होगा ।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (2) के प्रथम वाक्य का लोप कर निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''प्रत्येक मंच में निम्नलिखित योग्यता एवं अनुभव रखने वाले अनुज्ञापी के तीन अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति, प्रेस में उचित विज्ञापन तथा वेबसाईट के माध्यम से, वितरण अनुज्ञापी द्वारा आयोग के पूर्व अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।''

यह विनियम अंग्रेजी विनियम अधिसूचना दिनांक 14.05.2010 का हिन्दी रूपान्तरण है किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।

3. मुख्य विनियम के विनियम 3 का उप–विनियम (5) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए, जो कि दो वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है, नियुक्त किया जाएगा। सदस्य की नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 62 वर्ष होगी और पद धारण केवल 65 वर्ष तक कर सकते है।''

4. मुख्य विनियम के विनियम 3 का उप–विनियम (9) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''उपरोक्त उप–विनियम (2) के अधीन नियुक्त सभी सदस्यों को देय वेतन, बैठक शुल्क (सीटिंग फीस), मानदेय और/या अन्य भत्ते (जिन्हें सामूहिक रूप से पारिश्रमिक कहा जाता है), उनकी नियुक्ति की शर्तें सम्मिलित करते हुए एक समान होंगे, जैसा भी आयोग द्वारा निहित किया जाता है। न्यायिक तथा उपभोक्ता सदस्य पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त होंगें तथा न्यायिक सदस्य मंच का प्रशासनिक मुखिया होगा।''

5. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (10) में निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''मंच के कुशल संचालन हेतु, वितरण अनुज्ञापी :

(i) एक कार्यालय जिसमें तीन कमरे–तीनों सदस्यों हेतु एक–एक कक्ष, एक सुनवाई हॉल/कक्ष, एक रिकार्ड कक्ष तथा सचिवीय कर्मचारियों हेतु सामान्य कक्ष होगा।

(ii) सदस्यों/सचिवीय कर्मचारियों के लिए कम्प्यूटर्स तथा अन्य सुविधाएं।

प्रदान करेगा।

6. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (14) के द्वितीय वाक्य को परिवर्तित कर निम्न पढ़ा जाएगाः–

''मंच अपनी बैठकें ऐसे प्रमुख कार्यालय तथा वितरण लाईसेन्सधारी के वितरण क्षेत्र के प्रत्येक जिले के किसी अन्य स्थान पर भी करेगा जैसा कि मंच द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाए अथवा आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या, स्थान जहां से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वितरण अनुज्ञापी के कारोबार के प्रमुख स्थान से निकटता तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर निदेश दिया जाए।''

7. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (16) के अन्त में निम्न जोड़ा जाएगाः–

''किसी भी सुनवाई में वितरण अनुज्ञापी का पेशेवर सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा तब तक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, जब तक मंच द्वारा अनुमति न दी जाए। तथापि, जहॉ उपभोक्ता सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का चुनाव करे, तब वितरण अनुज्ञापी को भी यह अधिकार दिया जाएगा।''

8. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप–विनियम (25) के प्रारम्भ में निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः–

''मंच, वितरण अनुज्ञापी या उपभोक्ता, जैसा भी हो, को अनुपालन के लिए अवधि विनिर्दिष्ट करेगा। सामान्यतः यह अवधि 30 दिनों की होनी चाहिए। यदि किसी आदेश के अनुपालन में प्रमुख कार्य/प्रयोजन संभावित हो, तो लिखित कारणों सहित इस 30 दिन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।''

9. मुख्य विनियम के विनियम 3 के उप विनियमन (28) में प्रयुक्त शब्द ''व्यक्ति'' को शब्द ''उपभोक्ता'' से प्रतिस्थापित किया जाएगा''।

आयोग के आदेश द्वारा

पंकज प्रकाश,
सचिव